संख्या- 638 /26-ब0प्र0-2013-10(15)/2007टीसी

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ : दिनांक : 12 नवम्बर, 2013

विषय:- अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत स्वीक़ृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-640-41/स0क0/विकास/प-1/2013-14, दिनांक 26.09.2013 एवं पत्रांक-687/स0क0/विकास/2013, दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-236/26-ब0प्र0-2013-10(15)/2007टीसी, दिनांक 31 मार्च, 2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्यग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर की परियोजनाओं पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु देय अवशेष धनराशि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 के अनुसार रू0 190.38 लाख (रू0 एक करोड नब्बे लाख अडतीस हजार मात्र) स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि लाख रू0 में

जनपद का नाम	विकास खण्ड / ग्राम/ ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	पी0एफ0ए0 डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
सिद्धार्थनगर	नौगढ/कंदवा	सम्पर्क मार्ग/ सी0सी0 रोड एवं पुलिया निर्माण कार्य	59.42	16.03	43.39
	नौगढ/महदेवा बुजुर्ग	सम्पर्क मार्ग/ सी0सी0 रोड एवं पुलिया निर्माण कार्य	205.39	58.40	146.99
		योग	264.81	74.43	190.38

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। इससे इतर व्यय/ उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

http://shasanadesh.upnic.in

2- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रभाग द्वारा आगणनों में प्रस्तावित मात्राओं को यथावतद्य मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है, मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

4- जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

5- स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड सिद्धार्थनगरसे कार्य कराया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचति जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचति जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अति पिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

<u>संख्या- (1)/26-ब0प्र0-2013-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4- अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड सिद्धार्थनगर।
5- वित्त नियंत्रक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्डफाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in